www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 28 जून 2019

दैनिक जागरण
आदर्श मनुष्य वही है जो संकट के समय धैर्य और साहस से काम ले

नए मोड़ पर भारत–अमेरिका के रिश्ते

हर्ष वी पंत

अमेरिकी विदेश मंत्री पोंपियो का दौरा भारत–अमेरिका वार्ता में जान फूंकने में तो सफल रहा, पर अभी यह देखना है कि मोदी–ट्रंप जी–20 सम्मेलन में द्विपक्षीय रिश्तों को कितना आगे बढ़ा पाते हैं?

तमाम ऊहापोह और बयानबाजियों के बाद आखिर में यही लगा कि भारत और अमेरिका के बीच काफी कुछ सहज है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो द्विपक्षीय रिश्तों में तमाम अनिश्चितताओं के बीच भारत आए। उनके दौरे में दोनों देशों के बीच रिश्तों की मौजूदा तस्वीर को लेकर बहुत उत्सुकता रही, क्योंकि तमाम लोग मानते हैं कि ये रिश्ते मुश्किल भंवर में फंस गए हैं। बहरहाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में पोंपियो दोनों देशों की एक बार फिर से साझेदारी के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते रहे। हालांकि दोनों नेताओं ने यह माना कि व्यापार के मोर्चे पर कुछ मतभेद अवश्य हैं, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि इन विवादों को सफलतापूर्वक सुलझा लिया जाएगा। जयशंकर ने कहा कि चूंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है तो दोनों देशों के बीच समय-समय पर कुछ मतभेद स्वाभाविक हैं। पोंपियो ने कहा कि दोनों देश एक दूसरे को द्विपक्षीय साझेदार से कहीं बढ़कर समझते हैं और दोनों किसी भी मोर्चे पर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 'अमेरिका-भारत साझेदारी पहले ही नई ऊंचाई छूने की शुरुआत कर चुकी है।'

वास्तव में इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि ट्रंप प्रशासन ने कुछ मुद्दों पर अजीब स्थितियां पैदा कर दी हैं, जिनकी सुगबुगाहट पिछले काफी समय से हो रही थी। वाशिंगटन चाहता है कि नई दिल्ली अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क घटाए। वहीं इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी जीएसपी के तहत भारत को मिले एक लाभार्थी विकासशील देश का दर्जा खत्म कर दिया। यह खासा अहम माना जाता है। भारत को मिला यह दर्जा समाप्त करते हुए ट्रंप ने आरोप लगाया कि इसमें अमेरिका को बराबर फायदा नहीं मिल रहा है और भारत उसे बाजार में अपेक्षित पहुंच नहीं दे रहा है। ऐसे में भारत-अमेरिका में जब भी वार्ता होगी तब व्यापार का मुद्दा ही मुख्य रूप से केंद्र में रहेगा, क्योंकि दोनों देश अपनी आर्थिक सक्रियता को नए सिरे से तय करने का प्रयास कर रहे हैं।

पश्चिमी एशिया में उबाल पूरे उफान पर है जहां भारत के हित अमेरिका और ईरान दोनों के साथ जुड़े हैं। ईरान से तेल खरीदने को लेकर भारत को अमेरिका से मिली छूट की मियाद अब समाप्त हो चुकी है। भारत ने पहले ही इस वास्तविकता से तालमेल बैठाना भी शुरू कर दिया है। इसी का नतीजा है कि अमेरिका से भारत का तेल आयात बढ़ा है। फिलहाल अमेरिका से होने वाले तेल आयात ने भारत के परंपरागत तेल आपूर्तिकर्ता पश्चिमी एशियाई देशों को भी पीछे छोड़ दिया है, मगर भारत यहां क्षेत्रीय स्थायित्व एवं स्थिरता भी चाहता है और पोंपियो को इससे अवगत करा दिया गया है। यह बात जयशंकर के बयान से और स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा कि खाड़ी के हालात में ऊर्जा सुरक्षा एक पहलू है, लेकिन इसके साथ ही वहां रहने वाले भारतीयों, क्षेत्रीय सुरक्षा एवं व्यापार जैसे अन्य कारक भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

भारत द्वारा रूस से खरीदे जा रहे एस-400 ट्रायंफ एयर डिफेंस सिस्टम का मसला भी एजेंडे में शामिल रहा, क्योंकि अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। मॉस्को के साथ नई दिल्ली के ऐतिहासिक सामरिक रिश्तों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसीलिए भारत ने दलील दी कि उसे रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों से जुड़े कानून से छूट दी जानी चाहिए। भारत ने अमेरिका के सामने तर्क रखा कि वह अमेरिका के साथ 10 अरब डॉलर से अधिक के रक्षा अनुबंध करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह दर्शाता है कि भारत के सामरिक ढांचे में अमेरिका की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स (आइएसए) की दिशा में आगे बढ़ रहा है जिससे अमेरिका के साथ रक्षा उद्योग में सहयोग एवं जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा। रूस से जुड़े सवाल को जयशंकर ने रणनीतिक रूप देते हुए कहा, 'भारत के तमाम देशों के साथ भिन्न-भिन्न किस्म के रिश्ते है, उनमें से कुछ रिश्ते स्थाई हैं। उनका इतिहास रहा है। हम वही करेंगे जो राष्ट्रहित में होगा। रणनीतिक साझेदारी का एक पहलू उस क्षमता में भी निहित होता है जिसमें प्रत्येक देश दूसरे देश के राष्ट्रीय हितों को समझते हुए उनका सम्मान करे।'

यह पोंपियो का तीसरा भारत दौरा है। उनका यह दौरा अगले सप्ताह जी-20 सम्मेलन में मोदी-ट्रंप वार्ता की जमीन तैयार करने का काम करेगा। भारत-अमेरिका द्विपक्षीय रिश्तों में ट्रंप द्वारा कुछ अनिश्चितता पैदा करने के बावजूद पोंपियो का रुख भारत के लिए सहज ही रहा है। भारत में इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि अमेरिका एच-1बी वीजा में और कटौती करने की योजना बना रहा है। हालांकि वाशिंगटन द्वारा पहले ही इसका खंडन किया जा चुका है।

अवधेश राजपूत

इस वार्ता में जयशंकर ने अपनी ओर से कुछ व्यावहारिकता का पुट भी जोड़ा। उन्होंने कहा, 'दोनों देशों के अपने-अपने हित हैं। इसके कारण कुछ टकराव होना स्वाभाविक है। कूटनीति के जरिये हम उनका कोई साझा समाधान तलाशेंगे। हम अमेरिका के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चर्चा करेंगे।'

भारत के साथ रिश्तों को और बेहतर बनाना खुद अमेरिका के हित में है, मगर उसमें भारतीय विदेश नीति की अनदेखी करना वैश्विक राजनीति में भारत के बढ़ते प्रभाव को नुकसान पहुंचाता है। नई दिल्ली में तमाम लोगों को भले ही यह कुछ अजीब लगे, लेकिन भारत अमेरिका के साथ अपने सामरिक रिश्ते और मजबूत बनाकर मुख्य रूप से अपनी सामरिक स्वायत्तता बढ़ाना चाहता है। मौजूद दौर में भारत के लिए सबसे बड़ी सामरिक चुनौती चीन की ओर से खड़ी हो रही है और उसमें भारत को कोई बढ़त भी नहीं मिली हुई है। हाल-फिलहाल अमेरिका के साथ नजदीकी रिश्ते ही चीन की सबसे बढ़िया काट साबित हो सकती है। वहीं दीर्घ अवधि में ये रिश्ते भारत को अपनी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति विकसित करने यानी अपने दम पर बड़ी ताकत बनने में मददगार साबित होंगे। तमाम बातों के बावजूद माइक पोंपियो का भारत दौरा भारत-अमेरिका वार्ता में नई जान फूंकने में सफल रहा है। जयशंकर के रूप में उन्हें एक ऐसा साझेदार भी मिल गया है जो व्यावहारिक नतीजे देने के लिए उतने ही प्रतिबद्ध हैं। अब यह जिम्मा मोदी और ट्रंप पर है कि वे जी-20 सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक संकल्प प्रदान करें। हालांकि मोदी से मुलाकात के पहले ट्रंप ने यह कहा है कि वह अमेरिकी वस्तुओं पर भारत द्वारा आयात शुल्क बढ़ाए जाने को मंजूर नहीं करते, लेकिन माना जा रहा है कि भारत दबाव की इस रणनीति के आगे आसानी से झुकने वाला नहीं।

(लेखक लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

कश्मीर में केंद्रीय गृहमंत्री

बतौर केंद्रीय गृहमंत्री पहली बार जम्मू-कश्मीर के दौरे पर गए अमित शाह ने यह कहकर अपने इरादे जाहिर कर दिए कि आतंकियों की फंडिंग रोकने और घुसपैठरोधी तंत्र को मजबूत बनाने के साथ ही आतंकवाद के खिलाफ सख्ती बरतने की नीति पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अलगाववादी नेताओं से जिस तरह वार्ता की संभावनाओं को खारिज किया उससे यह साफ हुआ कि मोदी सरकार जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से बचना चाह रही है और उसकी पहली प्राथमिकता घाटी के हालात सुधारने और उन्हें स्थायित्व देने पर है। वास्तव में यही समय की मांग है। ऐसा कुछ प्रकट करने से बचा ही जाना चाहिए कि मोदी सरकार अलगाववादी नेताओं से बात करने के लिए व्यग्र है। इन नेताओं से बात करने में हर्ज नहीं, लेकिन पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उनकी ओर से पाकिस्तानपरस्ती का परिचय न दिया जाए और वे भारतीय संविधान के दायरे में रहकर ही बातचीत करने के लिए राजी हों। वास्तव में उन्हें उतनी ही अहमियत दी जानी चाहिए जितने के वे हकदार हैं। यह ठीक नहीं कि कश्मीर घाटी में असर रखने वाले राजनीतिक दल रह-रहकर केंद्र सरकार और अलगाववादी नेताओं में वार्ता की जरूरत जताते रहते हैं। ऐसा करके वे खुद अपनी अहमियत को ही कम करने का काम करते हैं। इससे भी खराब बात यह है कि वे कई बार अलगाववादियों की भाषा बोलने लगते हैं।

मोदी सरकार को इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि यदि पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस जैसे दल हालात सुधारने में मददगार न बनें तो वे हालात बिगाड़ने का भी काम न करने पाएं। आज भले ही ये दोनों दल विधानसभा चुनाव जल्द कराने पर जोर दे रहे हों, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ समय पहले इन दोनों दलों ने पंचायत चुनावों का बहिष्कार करना पसंद किया था। कश्मीर के हालात सुधारने पर इसलिए भी जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और अमरनाथ यात्रा का आयोजन भी। अमित शाह के रुख-रवैये से यह स्पष्ट है कि विश्वास बहाली के नाम पर वह ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं जिससे समस्याएं पैदा करने वाले तत्वों को बल मिले। यह अच्छा हुआ कि ऐसे तत्वों के प्रति किसी तरह की नरमी का संकेत देने के बजाय उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाई और यह निर्देश दिया कि लोग राज्य पुलिस के बलिदान को जानें-समझें, इसके लिए सार्वजनिक स्थलों का नामकरण उनके नाम पर किया जाए और साथ ही उनके सम्मान में समारोह आयोजित किए जाएं। इस तरह के कदमों की जरूरत भी है और उनका महत्व भी है। कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद के धंधा बन जाने के कारण वहां एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है जो कश्मीरियत को ही भूल बैठा है। निःसंदेह यह उल्लेखनीय है कि गृहमंत्री के दौरे के समय घाटी में हड़ताल या बंद का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन यह भी ठीक ही रहा कि उन्होंने मौजूदा हालात को एक शुरुआत के तौर पर ही देखा और यह साफ किया कि यह मंजिल नहीं है।

नीति और नीयत का फर्क

बिहार जैसे राज्य में शासन के स्तर पर बनाई गईं नीतियां कितनी कारगर होंगी यह बहुत हद तक इसके क्रियान्वयन में लगे लोगों की नीयत पर निर्भर करता है। वर्तमान में शपथ और संकल्प तो जैसे फैशन बन गए हैं। वाकया नवगछिया का है। सुबह पूरे पुलिस महकमे ने शराब न पीने और न पीने देने की शपथ ली। शाम को एक थानेदार को शराब सेवन के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शपथ, संकल्प, नीति और नीयत का यही फर्क विकास और विकास विरोधी माहौल की जमीन तैयार करता है। अनुमान लगाना कठिन नहीं कि उस थानेदार के संपर्क अवैध शराब के कारोबारियों से रहे होंगे। डीजीपी ने इस घटना को गंभीरता से लिया। उन्होंने एसपी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और थानेदार को जेल की हवा खानी पड़ी। मंगलवार को विधि व्यवस्था और शराबबंदी से जुड़े मामले की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब के धंधेबाजों से मिलीभगत रखने वाले पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की बात कर रहे थे। जाहिर है, मुख्यालय को भी इस बात का इनपुट है कि कुछ पुलिस अफसर राज्य में पूर्ण शराबबंदी अभियान को पलीता लगा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ उदाहरण योग्य कार्रवाई करने की जरूरत है। इन दिनों नीति और नीयत के फर्क का बड़ा उदाहरण बना है बिजली विभाग। भीषण गर्मी में राज्य के प्रायः जिलों में बिजली के लिए हाहाकार मचा है। शासन इस बात पर गर्व करता है कि राज्य में अब बिजली की कमी नहीं रही। जमीनी हकीकत यह है कि कई शहरों के अधिकांश मोहल्ले घंटों बिजली गुल रहने का खामियाजा भुगत रहे। जब बिजली लोगों को मिले ही नहीं तो इसके पर्याप्त या अपर्याप्त होने के क्या मायने हैं? स्थानीय प्रशासन भी सिर्फ चेतावनी तक सीमित है। उपभोक्ताओं की दुर्दशा यथावत है। स्वास्थ्य सेवा के मामले में भी राज्य की क्या दशा है यह नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है। देश के 21 बड़े राज्यों में हम सबसे नीचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सवाल भी कई सवालों की राह खोलते हैं। नीतियां जमीन पर तभी उतरेंगी जब संसाधन बढ़ाए जाएं और क्रियान्वयन की सघन निगरानी हो। यह भी सही है कि हमने कुछ मामलों में देश के साथ कदमताल कर मिसाल कायम की है।

तत्काल तीन तलाक पर फिर वही बहाने

क्षमा शर्मा

तत्काल तीन तलाक विधेयक का विरोध करने वालों को इस प्रथा की शिकार महिलाओं से बात करनी चाहिए

तत्काल तीन तलाक की बुराई को रोकने के लिए लोकसभा में पिछले दिनों मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पेश किया गया। उसके बाद से यह मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो भी पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ता है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। कुछ लोग इस प्रावधान का विरोध भी कर रहे हैं। सवाल है कि वे लोग जो औरतों के हितों के लिए दुबले हुए जाते हैं, उन्हें मुसलमान पुरुषों को तत्काल तीन तलाक के मामले में जेल भेजने के प्रावधान पर इतनी आपत्ति क्यों है? देखा जाए तो ये लोग मूल मुद्दे से भागने का ही प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 35 साल पहले शाहबानो के मुद्दे पर कांग्रेस एक मौका गंवा चुकी है। अब फिर से एक मौका उसके सामने है, लेकिन कांग्रेस ने अपना पुराना रवैया जारी रखा है। अधिकांश दल जो भाजपा का इस मुद्दे पर समर्थन नहीं करना चाहते, वे कह रहे हैं कि अगर पति जेल चला जाएगा तो परिवार कैसे चलेगा? क्या इस संदर्भ में इन दलों ने मुसलमान औरतों से बातें की हैं? सईदा हमीद ने बहुत पहले मुसलमान स्त्रियों से बात करके राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए वायस ऑफ द वायसलेस नामक रिपोर्ट तैयार की थी। यदि इन दलों ने उन्हीं से बात कर ली होती या उस रिपोर्ट को ही पढ़ लिया होता तो वे हकीकत से परिचित हो गए होते। इस रिपोर्ट में लिखा है कि तीन तलाक को गरीब, मजबूर मुसलमान औरतें बहुत अधिक झेलती हैं। पति एक बार में तीन तलाक बोलकर निकल लेते हैं और दूसरा ब्याह कर लेते हैं। बाल-बच्चों को छोड़ी हुई पत्नी के जिम्मे छोड़ जाते हैं।

शाहबानो ने अपने पति से गुजारा भत्ता ही मांगा था, लेकिन अफसोस है कि उस समय की राजीव गांधी सरकार कट्टरपंथियों के आगे इतना झुक गई कि उसने महिला हितों को एकदम दरकिनार कर दिया। आज भी यही स्थिति देखने में आ रही है। शबाना आजमी एक बार कह चुकी हैं कि सरकारों को हम जैसे उदारवादी मुसलमानों के मुकाबले कट्टरपंथी मुसलमान अधिक पसंद आते हैं। देश के अधिकांश राजनीतिक दल अभी इस विचार से मुक्त नहीं हो सके हैं कि मुसलमान अपने-अपने धर्मगुरुओं की बातें मानते हैं और उन्हीं के कहने पर वोट देते हैं। क्या महिला-महिला में फर्क होता है? जो लोग पति के जेल चले जाने पर दुख मना रहे हैं वे उन पुरुषों के बारे में क्या सोचते हैं जिन्हें दहेज के मामलों में नाम आने भर से जेल भेज दिया जाता है? कानून तो आखिर सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। महिलाओं के लिए काम करने वालों की चुप्पी देखकर भी हैरत होती है। क्या मुसलमान औरतें औरतें नहीं हैं? क्या उन्हें परिवार के नाम पर तरह-तरह की यंत्रणाओं से नहीं गुजरना पड़ता? महिला हितों की बात भी क्या धर्म और जाति देखकर तय की जानी चाहिए? आखिर मुसलमान महिलाएं स्त्री विमर्श की तमाम बहसों से गायब क्यों हैं? कहीं महिलाओं के लिए काम करने वाले संगठन भी राजनीतिक दलों की तरह ही वोट की परवाह तो नहीं कर रहे हैं?

सच तो यह है कि तत्काल तीन तलाक के मसले पर दाएं-बाएं होने वाले दल मुस्लिम वोट खोने के डर से ये कवायदें कर रहे हैं। ये राजनीतिक दल भूल जाते हैं कि मतदाता सिर्फ पुरुष ही नहीं होते। औरतें भी मतदाता हैं और अगर हालिया लोकसभा चुनाव से अगर कोई सबक लिया जा सके तो यह ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी संख्या में मुसलमान औरतों ने मोदी को वोट दिया है। जब पहली बार तत्काल तीन तलाक का मुद्दा आया था तो बहुत सी मुसलमान औरतें खुशी मनाते दिखी थीं। उनमें से बहुतों ने कहा था कि पहली बार किसी सरकार ने इस मुद्दे पर बोलने की हिम्मत दिखाई है।

आखिर मुसलमान लड़की के सिर पर तीन तलाक की तलवार क्यों लटकी रहनी चाहिए? पाकिस्तान में हाल ही में एक अदालत ने फैसला दिया है कि मुसलमान पुरुषों को दूसरी शादी के लिए मध्यस्थता परिषद से अनुमति लेनी होगी। वह ऐसा तभी कर सकता है जब इसके लिए उसे पहली पत्नी से अनुमति मिल गई हो। अगर बिना अनुमति के दूसरा विवाह किया तो जेल की सजा होगी और आर्थिक दंड भी भुगतना होगा। क्या हमारे देश में किसी ने इस तरह के नियम-कानून बनाने के बारे में सोचा है? ध्यान रहे कि अब सऊदी अरब में महिलाएं अपने निकाहनामे में कार चलाने और नौकरी करने के अधिकार को भी लिखवा रही हैं। आखिर मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में भारत ही बदलाव से क्यों इन्कार कर रहा है?

बहुत से लोग कहते हैं कि मुसलमानों में बहुविवाह प्रथा या तलाक के मामले बहुत कम हैं। हालांकि सईदा हमीद की रिपोर्ट इस बात की गवाही नहीं देती, लेकिन अगर यह मान भी लें कि ऐसा बहुत कम है तो भी जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए कानून में कौन-सी सजा है? ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने तत्काल तीन तलाक बिल का समर्थन करते हुए कहा है कि जो मुसलमान पुरुष ऐसा करते हैं, उन्हें तीन साल की नहीं, दस साल की सजा मिलनी चाहिए।

कायदे से तो तीन तलाक बिल का विरोध करने से पहले इन दलों को मुसलमान औरतों से बात करनी चाहिए, तब कोई निर्णय लेना चाहिए। तत्काल तीन तलाक का शिकार महिलाएं जिन परिवारों से आती हैं, जरा उनसे भी बात करके देखिए। उनके माता-पिता, भाई अन्य नाते-रिश्तेदार तीन तलाक को झेल रही अपने-अपने घर की महिलाओं को देखकर खून के आंसू रोते हैं। कानून अगर इन महिलाओं की मदद को आगे भी आता है तो फैसलों को पलटवा दिया जाता है और बहाना बनाया जाता है कि यह हमारे धर्म में हस्तक्षेप है या कि हमारा धर्म खतरे में है।

अरे भाई, जिस धर्म को तुम्हारी औरतें मानती हैं, अगर उन औरतों को न्याय मिले तो तुम्हारा ही धर्म मजबूत होगा। तुम्हारे ही समुदाय की औरतें फलेंगी-फूलेंगी। वे तत्काल तीन तलाक जैसी औरत विरोधी व्यवस्था से निजात पाकर परिवार और देश की तरक्की के लिए अधिक अच्छा काम करेंगी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी औरतों की इस मसले पर मदद करना चाहती है और वे उसके विरोधी हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं तो उनका यह विरोध कम से कम औरतों के हित में तो नहीं ही है। इस पर सभी को नए सिरे से विचार करना चाहिए ताकि किसी महिला के साथ नाइंसाफी न हो।

(लेखिका साहित्यकार एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

गुणों की महत्ता

संसार एक राजमार्ग है और जीवन एक यात्रा। हम सभी यात्री हैं और सबका लक्ष्य भी एक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सभी गतिशील हैं। इस गतिशीलता में परस्पर मैत्रीभाव होना आवश्यक है। सामाजिक संबंध विकसित होते हैं। मानवीय चेतना में अच्छे-बुरे विचारों की धारा प्रवाहित होती है। विश्व में पदार्थ अनंत हैं और कोई भी गुणों से हीन नहीं है, परंतु हम उनके गुणों को तभी देख सकते हैं जब हमारी दृष्टि दोष-दर्शन से रहित हो। प्रत्येक पदार्थ की विशेषता उसे प्रसिद्धि दिलाती है। उदाहरणार्थ-केवड़े पर फल, कटहल पर फूल और पान की बेल पर फल-फूल नहीं आते, फिर भी ये अपने गुणों से प्रसिद्ध हैं।

जो व्यक्ति गुणों की उपेक्षा करता है तो वह दूसरों के दोषों को ही देखता है। ऐसा व्यक्ति धर्म की आराधना नहीं कर सकता। जिसमें स्वयं गुण नहीं है और गुणों को ग्रहण करने की आकांक्षा भी नहीं है, वह आकृति से सुंदर होते हुए भी बिना खुशबू के पुष्प के समान है। जीवन में प्रसन्नता के लिए गुणों की प्रशंसा करना और गुण-ग्राहकता बहुत आवश्यक है। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा है कि जब तक शरीर मृत्यु को प्राप्त न हो जाए तब तक गुणों की आराधना कर गुणज्ञ बनो। जहां गुण-ग्राहकता की दृष्टि है, वहीं आत्मविकास होता है और समस्त विकारों से मुक्ति प्राप्त होती है। गुणी व्यक्ति की संगत करने से शिष्टता एवं सभ्यता का ज्ञान होता है।

जो स्वयं गुणी होता है वह गुणों का अनुरागी होता है। गुणी तो संसार में बहुत मिल जाते हैं, किंतु गुणदृष्टा विरले ही होते हैं। गुणों का पारखी व्यक्ति ही गुणीजनों का सम्मान करता है। उदाहरणार्थ-भंवरा वन से चलकर सरोवर में स्थित कमलों के पास आकर मकरंदपान करता है, किंतु उसी सरोवर में रहने वाले मेढक को कमल की सुगंध का कोई महत्व नहीं होता। गुणज्ञ व्यक्ति प्रत्येक गुणी व्यक्ति के गुणों का चिंतन मनन करके उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। आज लोक जीवन में यदि गुणज्ञ दृष्टि आ जाए तो संसार की समस्याएं स्वतः सुलझ सकती हैं। किसी के गुणों की प्रशंसा करना चापलूसी नहीं है, इसको व्यक्त करने के लिए शब्दों की अपेक्षा नहीं होती, वे तो सहज रूप में निकल पड़ते हैं। हम गुणों के उपासक बनें। वेदों की भाषा में कहें तो-हम सब एक दूसरे के प्रशंसक बनें।

बीना जैन

वर्षा जल संचयन की जरूरत

देवेंद्रराज सुथार

राजस्थान के कुछ इलाकों में जल संग्रह करने का प्रचलन है। इसे अन्य राज्यों में भी लागू कर वर्षा जल को बचाया जा सकता है

हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के संकट को देखते हुए ग्राम प्रधानों को निजी तौर पर पत्र लिखकर उनसे मानसून के दौरान वर्षा के जल का संरक्षण करने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है, 'प्रिय सरपंचजी, नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप और पंचायत के मेरे सभी भाई और बहनें पूरी तरह स्वस्थ होंगे। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। हम ईश्वर के आभारी हैं कि हमें पर्याप्त वर्षा जल का आशीर्वाद मिला है। हमें इस आशीर्वाद (जल) के संरक्षण के लिए सभी प्रयास और व्यवस्था करनी चाहिए।'

निःसंदेह वर्षा जल संचयन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। वर्षा जल का उपयोग घरेलू काम मसलन घर की सफाई, कपड़े धोने और खाना पकाने के लिए किया जा सकता है। वहीं औद्योगिक उपयोग की कुछ प्रक्रियाओं में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। गर्मियों में पानी की किल्लत को पूरक जल स्रोत के द्वारा कम किया जा सकता है। जिससे बोतलबंद पानी की कीमतें भी स्थिर रखी जा सकेंगी। यदि एक टैंक में पानी का व्यापक रूप से संचयन करें तो साल भर पानी की पूर्ति के लिए हमें जलदाय विभाग के बिलों के भुगतान से निजात मिल सकती है। वहीं वर्षा जल को छोटे-छोटे माध्यमों में एकत्रित करके हम बाढ़ जैसा समस्या से भी बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त वर्षा जल का उपयोग भवन निर्माण, जल प्रदूषण को रोकने, सिंचाई करने, शौचालयों आदि कार्यों में बेहतर एवं सुलभ ढंग से किया जा सकता है। जो हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है।

गौरतलब है कि दुनिया के सर्वाधिक बारिश होने वाले क्षेत्रों में भारत भी है। यहां हर वर्ष बर्फ पिघलने और वर्षा जल के रूप में औसतन 4000 अरब घन मीटर पानी प्राप्त होता है, जबकि यह देश वर्षा जल का 1869 अरब घनमीटर (मतलब सिर्फ 46 प्रतिशत) हिस्सा ही उपयोग कर पाता है, बाकी 54 प्रतिशत पानी व्यर्थ में बहकर नदी-नालों द्वारा समुद्र में चला जाता है। मणिपुर से भी छोटे इजरायल जैसे देश में जहां वर्षा औसत 25 सेमी से भी कम होती है, वहां के लोगों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। वहां जल प्रबंधन तकनीक लोगों को जल की कमी का आभास नहीं होने देती, अपितु कृषि से कई बहुमूल्य उत्पादों का निर्यात करके इजरायल विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है तो यह कार्य भारत क्यों नहीं कर सकता!

भारत की बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की मांग में दिनोंदिन वृद्धि हो रही है। आए दिन देश में जल की कमी के कारण होने वाली घटनाएं हमारा ध्यान खींचती ही रहती हैं। भारत में आज लगभग 60 करोड़ लोग पानी की गंभीर किल्लत का सामना कर रहे हैं। करीब दो लाख लोग स्वच्छ पानी नहीं मिलने के चलते हर साल जान गंवा देते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक मानव का दायित्व बनता है कि वे अपने हिस्सा का पानी पहले से ही संग्रहित करके रखें। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों और गुजरात के कुछ इलाकों में पारंपरिक रूप से घर के अंदर भूमिगत टैंक बनाकर जल संग्रह करने का प्रचलन है, इस परंपरा को अन्य राज्यों में लागू कर वर्षा जल को बचाया जा सकता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

लोकतंत्र पर काला धब्बा था आपातकाल

पार्थसारथी थपलियाल का लेख 'आपातकाल की वह भयानक भूल' पढ़ा। मेरा मानना है कि न्यायाधीश भी अंततः मनुष्य होते हैं। और भयभीत होना मनुष्यों सहित सभी प्राणियों की सामान्य प्रवृत्ति होती है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा एवं मूलभूत अधिकारों के स्थगन द्वारा पूरे राष्ट्र को डरा दिया था। उनके अटॉर्नी जनरल निरेन डे ने जिस अंदाज में बंदी प्रत्यक्षीकरण केस में सर्वोच्च न्यायालय में तर्क रखे, वे बेहद मजबूत दिल को भी दहलाने वाले थे। उन्होंने कहा कि सरकार जिसे चाहे उसे बिना कोई कारण बताए कहीं भी बंदी बनाकर रख सकती है। वह यदि चाहे तो किसी की जान भी ले सकती है, क्योंकि उसे तमाम आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। उस समय ऐसा लगा था कि हिटलर जैसे किसी तानाशाह की आत्मा निरेन डे में अवतरित हो गई हो। उनकी बहस के बाद कोर्टरूम में मौजूद हरेक व्यक्ति-वकील, जज और आम जनता अत्यधिक भयभीत दिख रही थी। इसलिए 4-1 के बहुमत से इंदिरा गांधी के पक्ष में निर्णय आना स्वाभाविक ही था। इस प्रकार से पूरे देश की न्यायपालिका की रीढ़ तोड़ने वाला फैसला इतिहास में दर्ज हो गया।

अजय मित्तल, मेरठ

दबाव उचित नहीं

किसी भी व्यक्ति पर किसी भी तरीके का दबाव बनाना उचित नहीं होता। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा के चुनावों में बड़ी हार मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने पद से त्यागपत्र देने पर अड़े हुए हैं। लेकिन परिवार और पार्टी के कुछ वफादार नेता जिस तरह धरना-प्रदर्शन और अनशन आदि के जरिये उप पर इस्तीफा न देने का दबाव बनाए हुए हैं, वह उचित नहीं है। इससे तो यही लगता है कि पार्टी में अच्छे नेताओं की कमी है। जबकि ऐसा है नहीं। पार्टी में अरविंदर सिंह लवली और शर्मिष्ठा मुखर्जी जैसे नेताओं की कोई कमी नहीं है। यदि राहुल चाहें तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तथा पार्टी के बड़े नेताओं से मिलकर किसी को भी यह दायित्व सौंप सकते हैं। कोई इंसान और परिवार कभी बुरा नहीं होता। कुर्बानी, त्याग और अच्छे कार्यों से ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए अब पार्टी को खुलकर और सकारात्मक सोच से ही आगे बढ़ना होगा। सही कार्यों में सहयोग और समर्थन से ही अच्छी छवि बनती है। पार्टी के लिए अब संभलने का वक्त आ गया है।

वेद मामूरपुर, नरेला

प्रकृति के लिए कुछ करने का वक्त

पर्यावरण की रक्षा कर ही जीव जगत को बचाया जा सकता है। जल की बर्बादी से कल का अंत निश्चित है। एक जुलाई से केंद्र सरकार सभी राज्यों में 'जल शक्ति अभियान' शुरू कर रही है। इसके तहत जमीनी स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति करके पानी की कमी से जूझ रहे जिलों की मदद की जाएगी। क्या जल संरक्षण केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है, हम सबकी नहीं है? आज लगभग पूरा देश पानी की कमी से जूझ रहा है। दिल्ली, राजस्थान अथवा चेन्नई जैसे राज्यों में पानी की कमी बहुत बड़ी समस्या है। वृक्षों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। लोगों ने तालाबों पर अवैध कब्जा कर मकान बना लिए हैं। पानी माफियाओं का कारोबार फल-फूल रहा है। इन सब के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। अधिक से अधिक वृक्षारोपण तथा जल संचयन करके हम इस भयंकर आपदा से बच सकते हैं। यदि हम इसी तरह जल की बर्बादी करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी और शुद्ध हवा तथा जल के बिना प्राणियों का जीना दूभर हो जाएगा।

आचार्य राम कुमार बघेल, पलवल

मानसिक दिवालियापन

उन्मादी भीड़ जंगली मानसिकता के साथ समाजिक बुराई भी है, लेकिन इसका निवारण केवल कानून और न्याय-व्यवस्था में ही निहित है। निश्चित रूप से झारखंड की घटना अमानवीय है, लेकिन ऐसी घटनाओं को देशहित में ना तो धार्मिक रंग देना चाहिए और ना ही वोट बैंक की खातिर राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए। क्योंकि सभ्य समाज ऐसी हृदयविदारक हरकतों की इजाजत कतई नहीं देता। कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के दादरी में घटित इकलाख की हत्या को धार्मिक रंग देकर असहिष्णुता की जबरदस्त राजनीति खेली गई। जबकि उसी साल दिल्ली में ध्रुव त्यागी की सरेआम हत्या पर राजनीतिक जगत, अवॉर्ड वापसी गैंग और मानवाधिकार वादियों ने चुप्पी साध ली। मानवीय हत्याओं पर दोहरी राजनीति हमारे बिकाऊ मानसिकता को बल देता है।

दीपक गौतम, सोनीपत

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं न हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय ा ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।